ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

गरीबी से निकल रिजवाना जी रही एक खुशहाल जीवन
(पृष्ठ – 02)

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बनाया आत्मनिर्भर
(पृष्ठ – 03)

प्रभावी परियोजना प्रबंधन से सफलता की राह हूई आसान
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – मार्च 2022 ।। अंक – 08

सतत् जीविकोपार्जन लाभार्थियों का सरकारी योजनाओं से जुड़ाव

सतत् जीविकोपार्जन योजना की सफलता इसी से समझी जा सकती है कि इस योजना से जुड़ाव के बाद लाभार्थियों यथा– देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की आजीविका के साधनों में बढ़ोत्तरी हुई, साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। राज्य सरकार के पूर्ण शराबबंदी के निर्णय के बाद देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत गरीब परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरूआत की गयी। योजना के प्रारंभ से ही इस नीति पर कार्य किया जाने लगा कि जब लक्षित लाभार्थी सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ेंगी तो उन्हें आजीविका के विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा एवं उसके बाद सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से उन्हें जोड़ा जाएगा। सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों को सरकार की जिन योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया उनमें मुख्य रूप से सात निश्चय कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं महादलित मिशन के अंतर्गत कियान्वित की जा रही योजनाएं शामिल हैं। इस अवयव के तहत लक्षित परिवारों को आजीविका के विकासात्मक योजनाओं के कियान्वयन में तकनीकी सहायता के उद्देश्य से संबंधित् विभागों एवं संस्थाओं के साथ समन्वय एवं साझेदारी का भी निर्णय लिया गया।

इन प्रयासों को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पहले देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया। इन दीदियों के सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव के समय ही यह बात सामने आई थी कि इसमें से अधिकांश दीदियां योग्य होते हुए भी कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। इन सूचनाओं के बीच सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी दीदियों को चयनोपरांत क्रमिक तरीके से प्रशिक्षित किया गया। जिसके बाद उनकी मांग एवं क्षमता के अनुसार आजीविका की गतिविधियों से जोड़ा गया। आजीविका की गतिविधियों से जुड़ने के बाद दीदियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ। आजीविका की गतिविधियों से जुड़ाव के बाद योजना द्वारा उन्हें निरंतर सहयोग प्रदान किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों के बाद दीदियों को किन–किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है, यह आकलन किया गया। इस प्रकार उन दीदियों को, जो दीदी जिस योजना के योग्य थीं लेकिन किसी भी कारण से योजना से वंचित थी को योजना का लाभ दिलवाया गया है। इन दीदियों में से कई योग्य दीदियों का राशन कार्ड बनवाया गया, कई दीदियों को विधवा, दिव्यांग एवं वृद्धावस्था पेंशन से जोड़ा गया है। कई दीदियों को सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पीने का पानी, बिजली एवं शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन, राशन, बीमा जैसी सुविधाएं दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना से रहने हेतु घर का निर्माण, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, छात्रवृति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं महादलित मिशन के अंतर्गत कियान्वित की जा रही योजनाओं से जुड़ाव करवाया जा रहा है। भूमिहीन परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बासगीत भूमि उपलब्ध कराकर उनके आवास का निर्माण कराने का कार्य भी जारी है। इसके साथ उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की आपूर्ति, बैंकों में बचत खाता खुलवाने, बीमित करवाने, बच्चों का नामांकन करवाने के अतिरिक्त अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

योजना से मिली सहायता, सुलेखा में आई आत्मनिर्भरता

सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड अन्तर्गत विशनुपर शिवराम पंचायत की रहने वाली सुलेखा देवी के पति पीलिया बीमारी की वजह से 8 वर्ष पूर्व ही गुजर गए थे। पति की मृत्यु के बाद सुलेखा देवी का जीवन दुखमय हो गया। उसके घर की आमदनी का स्रोत खत्म हो गया और खाने के भी लाले पड़ने लगे।

ग्राम संगठन द्वारा जब एसजेवाई हेतु योग्य परिवारों की पहचान की जा रही थी तब ग्राम संगठन ने सुमित्रा देवी का नाम लाभार्थी सूची में दर्ज कर लिया। इसके बाद दिसंबर 2020 में योजना के तहत कुल 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर परिसंपत्ति का निर्माण किया गया। इससे उसने मुख्य मार्ग के पास किराना दुकान प्रारंभ किया। इसके बाद एल.जी.एफ. के तहत उसे सात माह तक एक–एक हजार रुपये भी मिले, जिससे वह घर की जरूरतें पूरी कर सकें।

सुलेखा देवी को किराना की दुकान से अच्छी आय होने लगी है। दुकान की आय से उसने 2 बकरियां खरीदी। इन बकरियों ने बच्चे दिए, जिससे बकरियों की कुल संख्या 6 हो गई है। इसके अलावा उसने एक गाय भी खरीदी। इस प्रकार सुलेखा देवी को इन आजीविका की गतिबिधियों से प्रतिमाह औसतन 5 से 6 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है। अब वह बैंक में बचत भी करने लगी है। दीदी को सरकारी योजनाओं के लाभ भी मिल रही है।

गरीबी से निकल रिजवाना जी रही एक खुशहाल जीन्दगी

शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा प्रखंड के डीह मकनपुर गांव की रहने वाली रिजवाना खातून गगन जीविका महिला ग्राम संगठन के अंतर्गत पूजा जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। गांव में शराबबंदी बेहद सख्ती से लागू कराने में रिजवाना दीदी की कोशिश काफी मुश्किल भरी रही।

वर्ष 2016 में बिहार सरकार द्वारा शराब बंदी कानून लागू किया गया जिसका पालन करते हुए गांव में शराब बिकना पूरी तरह से बंद हो गया। रिजवाना खातून अपने दो बच्चों के साथ किसी तरह जीवन यापन कर रही थी। यहां तक की दो वक्त की रोटी के लिए उन्हें भीख तक मांगना पड़ रहा था। तब ऐसे में वर्ष 2018 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत ग्राम संगठन की मदद से रिजवाना दीदी को गांव में ही किराना दुकान खोलने के लिए 10 हजार एवं 20 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। किराना दुकान से अब इनकी मासिक आमदनी 11 हजार रुपए से अधिक हो गई है।

किराना दुकान के साथ ही इन्होंने अपने बगीचे में ही साग–सब्जी उपजाने का निर्णय लिया और धीरे–धीरे उसे बड़े पैमाने पर करते हुए घरेलू उपयोग के साथ–साथ बेचने का भी काम करने लगी। इसके बाद आमदनी अच्छी होने लगी तो इन्होंने व्यवसाय का विविधिकनण करते हुए मुर्गा पालन का भी व्यवसाय शुरू किया जिससे अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा अच्छी तरह से देने का सपना साकार किया। अब घर में सभी सदस्यों का खान पान बेहतर हो गया है।

बेहद गरीबी से निकलने के बाद आज रिजवाना दीदी एक खुशहाल जीवन जी रही हैं और सतत् जीविकोपार्जन योजना का शुक्रिया अदा करती हैं।

जीविका से जुड़ हीना ने बनाया अपना अलग मुकाम

सर पर कपडे का गठ्ठर लिए घूम घूम कर कपडा बेचने वाली हीना खातून को अब कौन नहीं जानता। अपने घर से 20 किलोमीटर के दायरे में हीना दीदी घर – घर घूम कर कपडे बेचने का काम करती है। साडी, फ्रॉक एवं छोटे बच्चों के लिए कपडा बेचकर हीना खातून प्रतिदिन औसतन 400 से 500 रुपये कमा लेती हैं। इनकी शादी 5 वर्ष पूर्व मो.इलियास से साथ हुयी थी। अभी एक वर्ष ही बीता था कि इनके पति ने दूसरी शादी कर अलग घर बार बसा लिया। हीना खातून को बच्चे समेत बेसहारा छोड़ दिया। अपने माँ को बचपन में ही खो चुकी हीना खातून को बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ने अन्दर से बहुत मजबूत बना दिया। इन्होने हिम्मत नहीं हारी। जीविका समूह से ये जुड़ी। इस बीच सितम्बर 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के चयन के लिए सीआरपी ड्राइव चला। इस ड्राइव में जागृति जीविका महिला ग्राम संगठन ने हीना खातून की माली हालत देखकर इनका चयन इस योजना के लाभार्थी के रूप में किया। अपनी पसंद की आजीविका चुनने में हीना खातून ने कपड़ा फेरी को पहली पसंद बताया। चूँकि इस तरह के व्यवसाय को वो पहले से ही कर रही थी, लेकिन पूंजी के अभाव में आमदनी एवं बचत बहुत कम हुआ करती थी। इस योजना में चयन के उपरान्त हीना खातून को ग्राम संगठन द्वारा 15000 रुपये उपलब्ध करवाए गए। इस राशि से उसने बेगूसराय जाकर थोक भाव में कपडे की खरीदारी की। अब उन्हें रोज बाजार नहीं जाना पड़ता था। पूंजी बढ़ने के साथ ही कपडे की वैरायटी में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में हीना इस कारोबार से माह का 6 से 7 हजार रुपया आमदनी अर्जित कर लेती हैं। उनके दुकान की कुल संपत्ति 55000 रुपये है। शिक्षा का महत्त्व जानते हुए हीना अपने बच्चों को स्कूल भेज रही है। अपनी कमाई से हीना एक कठ्ठा जमीन लेने की सोची है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बनाया आत्मनिर्भर

मीना देवी जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के टेहटा मलाह टोली की रहने वाली हैं। वह काली स्वयं सहायता समूह, सुहाग ग्राम संगठन और शुभ संकुल स्तरीय संघ की सदस्य हैं। मीना का परिवार पहले ताड़ी व्यवसाय में शामिल था। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मीना की शादी कम उम्र में हो गई थी। शादी के बाद, वह अपने पति और सास–ससुर को ताड़ी व्यवसाय में मदद करती थी। बिहार सरकार ने राज्य में ताड़ी के कारोबार पर रोक लगा दी। ताड़ी कारोबार के बंद होने से परिवार के लिए खाने की चुनौती पैदा हो गई। मीना का पति इस बीच देशी शराब का आदी हो गया और बीमार रहने लगा। मीना को पति के इलाज में अपनी बचत के साथ जो भी छोटे–छोटे आभूषण थे, उन्हें बेचना पड़ा।

मीना ने स्थिति को सुधारने के लिए कुछ बेहतर करने का फैसला किया। वह अपने घर से लगभग 10 किमी दूर जहानाबाद जाकर एक सिलाई की दुकान में काम करने लगी। सुहाग ग्राम संगठन ने उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए पात्र पाया। चयन के बाद मीना को 20000 रुपये की संपत्ति हस्तांतरण हुई जिसमें एक सिलाई मशीन, फॉल, अस्तर, बटन, रील लेस आदि शामिल थे। उन्हें विशेष निवेश निधि के रूप में 10000 रुपये भी मिले, जिसका उपयोग उन्होंने रैक बनाने में किया। इसके अलावा उसे सात बार 1000 रुपये मिले, ताकि उसे घरेलू उपभोग के लिए संपति नहीं बेचनी पड़े। कुछ ही महीनों में मीना की जिंदगी बदल गई। मीना ने लगन से काम किया और नियमित रूप से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाती रही। इससे वह अपनी दुकान में दो और सिलाई मशीन बढ़ा लिया। ग्राहकों की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए, उसने दो और जीविका दीदी को प्रशिक्षित और नियोजित किया है जो कि उसके दुकान पर कार्य करती हैं। मीना को 6000 से 8000 का लाभ महीने में हो रहा है।

प्रभावी परियोजना प्रबंधन से सफलता की राह हूई आसान

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सतत् जीविकोपार्जन योजना, ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, जीविका के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। सतत् जीविकोपार्जन योजना से एक लाख परिवारों को जोड़ने के लक्ष्य की तुलना में जीविका ने निर्धारित समय में 1 लाख 25 हजार से ज्यादा परिवारों को इस योजना से जोड़कर अपार सफलता पाई है। इस योजना की सफलता की मुख्य कारण हैं– मजबूत प्रबंधन प्रणाली, योजना के क्रियान्वयन का क्रमिक एवं पारदर्शी तरीका, योजना के क्रियान्वयन की विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी एवं अनुश्रवण के साथ–साथ आधुनिक सूचना व संचार तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया जाना है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत परियोजना प्रबंधन के प्रमुख अवयव निम्न हैं–

निगरानी एवं अनुश्रवण : सतत् जीविकोपार्जन योजना के क्रियान्वयन का क्रमिक एवं पारदर्शी तरीका होने के बावजूद इसकी निरंतर निगरानी एवं अनुश्रवण की प्रणाली विकसित की गई है। ग्राम संगठनों द्वारा लक्षित परिवारों की पहचान करने एवं इसके चयन से लेकर जीविकोपार्जन वित्त पोषण की प्रक्रिया का जीविका के प्रखंड एवं जिला कार्यालयों द्वारा निरंतर निगरानी एवं अनुश्रवण किया जाता है। लक्षित परिवारों से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रपत्रों की मदद ली जाती है। पारिवारिक सर्वेक्षण के दौरान इन निर्धारित प्रपत्रों में लक्षित परिवार से जुड़ी पूरी जानकारी एकत्र की जाती है। प्रपत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ों से योजना के लाभार्थियों की पात्रता जाँचना आसान होता है। इसके अलावा परिवारों का सूक्ष्म नियोजन, मांग पत्र तथा आजीविका के चयन के आधार पर जीविकोपार्जन वित्त पोषण के संबंध में उचित जांच के बाद निर्णय लिया जाता है। साथ ही एमआरपी के कार्यों एवं उसके द्वारा लक्षित परिवारों को दी जाने वाली सहायता का भी निरंतर अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए जीविका के राज्य कार्यालय द्वारा एक मोबाइल एप विकसित किया गया है, जिसमें एमआरपी द्वारा लक्षित परिवारों के गृह भ्रमण से जुड़ी पूरी जानकारी एकत्र कर उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही साथ आरक्षित परिवारों को ससमय उचित सहायता प्रदान करने में सहायता प्राप्त होती है।

एमआईएस : जीविका राज्य कार्यालय द्वारा विकसित एमआईएस (सूचना प्रबंधन प्रणाली) में योजना के लक्षित परिवारों की समस्त जानकारियां और परियोजना की प्रगति से जुड़े तमाम आंकड़े प्रविष्ट किये जाते हैं। लक्षित परिवारों का प्रोफाइल, उसकी पूर्व की स्थिति, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, योजना के लिए चयन का आधार, सूक्ष्म नियोजन, जीविकोपार्जन वित्त पोषण–एलआईएफ एवं एलजीआईएफ के अलावा उसके व्यवसाय का चयन एवं व्यवसाय संचालन तथा इसकी प्रगति से जुड़े आंकड़े एमआईएस में प्रविष्ट किए जाते हैं। इससे जीविका के प्रखंड, जिला एवं राज्य कार्यालय द्वारा निरंतर निगरानी रखना आसान एवं पारदर्शी हुआ है। इस प्रकार एसजेवाई–एमआईएस में योजना से जुड़े सभी गरीब परिवारों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है। इससे योजना प्रबंधन एवं सरकार को योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन में सुविधा होती है।

मानव संसाधन : सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर कर्मी पदस्थापित किए गए हैं। राज्य स्तर पर एक समर्पित टीम कार्यरत है जो योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी, अनुश्रवण एवं प्रबंधन का कार्य करती है। वहीं जिला स्तर पर जिला नोडल, एसजेवाई–यूवा पेशेवर एवं कंसल्टेंट रखे गए हैं, जो योजना के क्रियान्वयन में प्रखंड स्तरीय कर्मियों एवं कैडरों को मदद पहुंचाते हैं। वहीं पंचायत स्तर पर संबंधित संकुल स्तरीय संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक संसाधन सेवी (मास्टर रिसोर्स पर्सन) बहाल किए गए हैं, जो लक्षित परिवारों को प्रशिक्षित करते हैं तथा व्यवसाय के चयन एवं संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। पंचायत स्तर पर पदस्थापित जीविकाकर्मी अर्थात सामुदायिक समन्वयक द्वारा एसजवाई से संबंधित गतिविधियों में सहयोग प्रदान किया जाता है। साथ ही जिला स्तर पर क्षेत्रीय समन्वयक को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया गया है जो एमआरपी एवं लाभार्थियों के क्षमतावर्द्धन में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त योजना के पार्टनर एजेंसी बंधन कोननगर द्वारा राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर रिसोर्स पर्सन पदस्थ किए गए हैं जो एमआरपी एवं लाभार्थी परिवारों के क्षमतावर्द्धन में सहयोग प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रबंधन एवं खरीदारी : योजनान्तर्गत मजबूत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। योजनान्तर्गत मिलने वाली सभी प्रकार की निधि एवं सहयोग राशि का हस्तांतरण ग्राम संगठन द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित की जाती है। इससे योजना का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंच पाता है। इसी तरह योजनान्तर्गत लाभार्थी परिवार के लिए उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु की जाने वाली खरीदारी में सामुदायिक खरीदारी की नियमावली लागू की गई है। ग्राम संगठन स्तर पर गठित खरीदारी समिति की दीदियों, एमआरपी एवं लाभार्थी परिवार द्वारा संयुक्त रूप से

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी –परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री हिमांशु पाहवा – प्रबंधक गैर कृषि